प्रेस विज्ञप्ति

1.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स, मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट, वेदपाल सिंह तंवर, रमन सोखल और अन्य द्वारा हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम गांव में स्थित 'दादम हिल' में किए गए अवैध खनन के मामले में 28/07/2025 को 17.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने पर्यावरण संरक्षण (ईपी) अधिनियम, 1986 के तहत हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, हरियाणा पुलिस ने भी मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स (जीएमएम), मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स (एसएमए) और इसके भागीदारों- वेदपाल सिंह तंवर, रमन शोखल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स (जीएमएम) और मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स (एसएमए) ने 2017-2022 तक दादम माइंस, भिवानी, हरियाणा में खनन गतिविधियां कीं, जहां वे 1200 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध और अवैज्ञानिक खनन में शामिल थे, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और उन्हें उतना ही लाभ हुआ।

ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि खनन टेंडर प्रोपराइटरशिप फर्म मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स को आवंटित किया गया था, जिसमें श्री नवीन गोयल प्रोपराइटर थे, जबकि सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से, रमन सोखल और अन्य द्वारा समान नाम वाली एक अन्य साझेदारी फर्म यानी मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स बनाई गई और हरियाणा खनन विभाग को सूचित किए बिना या उनसे अनुमति लिए बिना पूरा खनन कार्य धोखाधड़ी से किया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि जीएमएम द्वारा अवैध और अवैज्ञानिक खनन से अर्जित अपराध की आय (पीओसी) का इस्तेमाल चल और अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया था। जांच के दौरान, आरोपियों की 56.97 करोड़ रुपये की संपत्ति को 27/09/2024 के आदेश के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया और पीएमएलए के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष आपराधिक अभियोजन शिकायत दायर की गई। मामले में आगे की जांच के दौरान, शेष पीओसी का पता लगाने और उसे कुर्क करने के प्रयास किए गए। जांच के परिणामस्वरूप, ईडी ने 28/07/2025 के आदेश के तहत 17.68 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की और उसे कुर्क किया। इस प्रकार, जीएमएम द्वारा अवैध खनन से संबंधित इस मामले में अब तक कुल 74.65 करोड़ रुपये की पीओसी कुर्क की जा चुकी है।

हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम गाँव स्थित 'दादम हिल' में वर्ष 2017 के दौरान किए गए अवैध खनन के लिए मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स, उसके लाभार्थी मालिकों रमन शोखल और अन्य के खिलाफ ईडी की जाँच जारी है ताकि उनके द्वारा अर्जित पीओसी का पता लगाया जा सके। जाँच के दौरान, आरोपियों की 25.16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है और जाँच जारी है।

आगे की जांच जारी है।